पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 87/2024

उनवान :

राजेश पुत्र धर्मपाल जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा। :—वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र भूपसिंह जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
2. अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
3. सुमन पुत्री धर्मपाल जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 263/253 के ख0सं0 920/6 की कुल 1.1300 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल का नाम कलमजन कर वादी राजेश को व प्रतिवादी संख्या 2 अनिल कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.20 11:00:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 87/2024

उनवान :

राजेश पुत्र धर्मपाल जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।

:- वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र भूपसिंह जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
2. अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
3. सुमन पुत्री धर्मपाल जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तह0 नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल **: वादी**

वकील श्री अर्जुन बैनीवाल **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 13/11/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 263/253 के ख0सं0 920/6 की कुल 1.1300 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू0अ/24/1473 दिनांक 05.09.2024 से मातु वल्द गोरधन के विरासतन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में राजेश पुत्र धर्मपाल जाति धाणक निवासी कुम्हारिया तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा खाता संख्या 263/253 सम्वत 2074-77 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा खाता संख्या 414/391 सम्वत 2058 प्रदर्श 2, सदस्य [illegible] प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.20 11:00:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने [illegible] के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम अजीतपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में धर्मपाल दो पुत्र राजेश एवं अनिल कुमार तथा एक पुत्री सुमन के अलावा सदस्य प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 सं0 263/253 के ख0सं0 920/6 की कुल 1.1300है0 प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल का नाम कलमजन कर वादी राजेश व प्रतिवादी संख्या 2 अनिल कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 263/253 के ख0सं0 920/6 की कुल 1.1300 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम दर्ज है। उक्त दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल का नाम कलमजन कर वादी राजेश व प्रतिवादी सं0 2 अनिल कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kalpit

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.20 11:00:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner